बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

<u>संविदा पर नियोजन हेतु सूचना</u>

योजना एवं विकास विभाग एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों यथा–जिला योजना कार्यालयों तथा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सृजित विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित है। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने में प्रक्रियात्मक विलम्ब को देखते हुए कार्यहित में निम्नांकित पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(2) संविदा के आधार पर यह नियोजन बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग से विभिन्न राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के विरुद्ध अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने अथवा अधिकतम एक वर्ष के लिए, जो न्यूनतम हो, के लिए की जाएगी।

(3) संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी एवं इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(4) विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 01.07.2013 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 22 वर्ष एवं अधिकतम आयु 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

(5) संविदा के आधार पर नियोजन में बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति लागू होगी।

(6) विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

(7) पूर्व से योजना एवं विकास विभाग एवं इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों यथा–अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय/मूल्यांकन निदेशालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(8) **चयन प्रक्रियाः** निर्धारित न्यूनतम अर्हता वाले उम्मीदवारों का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर विभिन्न परीक्षा के प्राप्तांक एवं कार्यानुभव के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारकों एवं कार्यानुभव के लिए बोनस अंक देय होगा।

किसी दो अभ्यर्थियों को बराबर अंक होने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता देने के उपरान्त भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी की जन्म–तिथि समान हो तो उस स्थिति में विभिन्न पद विशेष के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से संबंधित डिग्री में प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर अंतिम वरीयता निर्धारित की जाएगी।

(9) संविदा आधारित नियुक्ति हेतु विभिन्न पदों की विवरणी, पदों की संख्या, आरक्षण कोटिवार पदों की संख्या तथा मानदेय की राशि से संबंधित विवरणी निम्नवत् हैः–

(क) योजना एवं विकास विभागः–

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	आरक्षण कोटिवार पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय की राशि
1	सहायक निदेशक / सहयक योजना पदाधिकारी	69	अनारक्षित–33 अनु0जाति–10 अनु0जनजाति–03 अति पिछड़ा वर्ग–13 पिछड़ा वर्ग–07 पिछड़ा वर्ग की महिला–03	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी / गणित / सांख्यिकी / अर्थशास्त्र में स्नातक डिग्री	`26,800 / –
2	योजना सहायक	204	अनारक्षित–102 अनु0जाति–31 अनु0जनजाति–03 अति पिछड़ा वर्ग–38 पिछड़ा वर्ग–24 पिछड़ा वर्ग की महिला–06	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री	`25,500 / –

(ख) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयः–

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	आरक्षण कोटिवार पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यता	मानदेय की राशि
1	सहायक निदेशक / जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	26	अनारक्षित–14 अनु0जाति–06 अनु0जनजाति–00 अति पिछड़ा वर्ग–04 पिछड़ा वर्ग–01 पिछड़ा वर्ग की महिला–01	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री	`26,800 / –
2	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक / कनीय सांख्यिकी सहायक / अन्वेषक	97	अनारक्षित–49 अनु0जाति–15 अनु0जनजाति–01 अति पिछड़ा वर्ग–17 पिछड़ा वर्ग–12 पिछड़ा वर्ग की महिला–03	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से गणित / अर्थशास्त्र / सांख्यिकी / वाणिज्य में स्नातक डिग्री तथा मैट्रिक गणित के साथ परीक्षोत्तीर्ण (वाणिज्य गणित नहीं)	`25,500 / –

(10) विभिन्न पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन आवेदन योजना के विकास विभाग के बेवसाईट **http://planning.bih.nic.in** अथवा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के

बेवसाईट **http://dse.bih.nic.in** पर दिनांक 02.09.2013 के पूर्वाहन 10.00 बजे से दिनांक 11.09.2013 के अपराहन 5.00 बजे तक कर सकेंगे।

(11) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपना आवेदन करना चाहते हों तो उन्हें अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन समर्पित करना होगा।

(12) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने समय अभ्यर्थियों अपना हस्ताक्षर एवं अपना पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ स्कैन करके यथास्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(13) ऑनलाईन आवेदन करने समय अभ्यर्थी को अपना मोबाईल संख्या एवं ई–मेल पता अनिवार्य रुप से अंकित करना होगा। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार की सूचना अभ्यर्थी द्वारा समर्पित मोबाईल पर एस0एम0एस0 एवं ई–मेल के माध्यम से ही दी जाएगी।

(14) ऑनलाईन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा साथ ही निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(15) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सूचना से संबंधित कोई भी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति आवेदन के साथ समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। चयन के उपरान्त अपना योगदान समर्पित करने समय उन्हें समर्पित की गयी सूचनाओं से संबंधित साक्ष्य मूल में छाया प्रति के साथ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। समर्पित किसी भी सूचना से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने अथवा दी गयी सूचना के गलत पाए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(16) चयन के पश्चात् योगदान करने हेतु अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(17) संविदा आधारित नियुक्ति एवं वरीयता सूची निर्धारण हेतु अंक निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी योजना एवं विकास विभाग के बेवसाईट **http://planning.bih.nic.in** अथवा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के बेवसाईट **http://dse.bih.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0 / –

(अखिलेश कुमार सिन्हा)
संयुक्त निदेशक
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना।

आवेदन पत्र

(1) विज्ञापन संख्याः
(2) पद का नाम, जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा हैः
(3) उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):
(4) उम्मीदवार के पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में):
(5) जन्म तिथिः (DD/MM/YY)
(6) दिनांक 01.07.2013 को आयु (वर्ष में):
(7) आरक्षण कोटिः (GEN/SC/ST/OBC/BC/WBC) (GEN-सामान्य, SC-अनुसूचित जाति, ST-अनुसूचित जनजाति, OBC-अति पिछड़ा वर्ग, BC-पिछड़ा वर्ग, WBC-पिछड़ा वर्ग की महिला)
(आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र की मूल प्रति योगदान करने के पूर्व भौतिक सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
(8) वर्त्तमान पताः (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
(9) स्थायी पताः (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
(10) गृह जिला का नामः (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
(11) गृह प्रखण्ड का नामः (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
(12) शैक्षणिक योग्यताः

क्रम सं0	परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	मैट्रिक				
2	इन्टर				
3	स्नातक डिग्री				
4	स्नातकोत्तर डिग्री				

(13) सरकारी संस्थान में सांख्यिकी/योजना कार्यों का अनुभवः

क्रम संख्या	**संस्थान का नाम**	**अनुभव की अवधि**

(13) ई–मेल पताः
(14) मोबाईल संख्याः
(नोटः अभ्यर्थियों को नियोजन के संबंध में कोई भी जानकारी उनके द्वारा दिए गए ई–मेल पता एवं मोबाईल पर एस0एम0एस0 द्वारा ही दी जाएगी)
(15) आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटोग्राफः (स्कैन प्रति अपलोड करें)
(16) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में मेरे द्वारा अंकित की गयी जानकारी पूर्णतः सही है एवं मांग किए जाने पर इससे संबंधित साक्ष्य मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
स्थानः
तिथिः (आवेदक अपने हस्ताक्षर की स्कैन प्रति अपलोड करें)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

संविदा आधारित नियोजन

पैनल निर्माण हेतु अंक निर्धारण प्रक्रियाः कुल अंक–100

(क) शैक्षणिक योग्यता के आधार परः– कुल अंक–70

क्रम	शैक्षणिक योग्यता	निर्धारित अधिकतम अंक	अंक
1	मैट्रिक	कुल अंक–15	प्रथम श्रेणी के लिए 15 अंक द्वितीय श्रेणी के लिए 10 अंक तृतीय श्रेणी के लिए 5 अंक
2	इन्टरमीडिएट	कुल अंक–15	प्रथम श्रेणी के लिए 15 अंक द्वितीय श्रेणी के लिए 10 अंक तृतीय श्रेणी के लिए 5 अंक
3	स्नातक डिग्री	कुल अंक–20	प्रथम श्रेणी के लिए 20 अंक द्वितीय श्रेणी के लिए 15 अंक तृतीय श्रेणी के लिए 10 अंक
4	स्नातकोत्तर डिग्री	कुल अंक–20	प्रथम श्रेणी के लिए 20 अंक द्वितीय श्रेणी के लिए 15 अंक तृतीय श्रेणी के लिए 10 अंक

(ख) अनुभव के आधार परः– कुल अंक–30

क्रम	अनुभव	अंक
1	किसी सरकारी संस्थान में सांख्यिकी/योजना कार्यों का अनुभव (क) एक वर्ष के अनुभव के लिए – 20 अंक (क) दो या उससे अधिक वर्षों के अनुभव के लिए – अतिरिक्त 10 अंक	कुल अंक–30